फा. सं. 15-01/जीए/2015-16-एफ.एस.एस.ए.आई-2015

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

---

16 अक्टूबर, 2015

विषय : दिनांक 18 मई, 2015 को आयोजित प्राधिकरण की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त

प्राधिकरण ने दिनांक 04 सितंबर, 2015 को आयोजित 18वीं बैठक में दिनांक 18 मई, 2015 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 17वी बैठक के कार्यवृत्त का अंगीकरण किया।

2. तदनुसार प्राधिकरण की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

हस्ता/-

(राकेश चन्द्र शर्मा)

निदेशक (सामान्य प्रशासन)

अनुलग्नक:

खाद्य प्राधिकरण की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 18 मई, 2015 को एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में 1030 बजे आयोजित
खाद्य प्राधिकरण की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की 17वीं बैठक दिनांक 18 मई, 2015 को 1030 बजे एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में श्री बी. पी. शर्मा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई और सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची **अनुबंध 1** पर दी गई है। बैठक में उपस्थित न हो पाने वाले सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई थी।

2. श्री वाई. एस. मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने बैठक में श्री बी. पी. शर्मा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई और प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने प्राधिकरण के सभी सदस्यों और अन्य भागीदारों का संक्षिप्त परिचय लिया। उसके बाद उन्होंने सी.ई.ओ., एफ.एस.एस.ए.आई को बैठक की कार्रवाई आरंभ करने और संचालित करने का अनुरोध किया।

कार्यसूची की मदें : मद 1 से 4

मद सं0 1 :

सदस्यों द्वारा हित का प्रकटन

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने बैठक की कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व बैठक में विचारार्थ एजेंडा आइटमों के बारे में "हित की विशिष्ट घोषणा" पर हस्ताक्षर किए।

मद सं0 2 : प्राधिकरण की 16.01.2015 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

(i) सी.ई.ओ. ने सूचित किया कि 16वीं बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को परिचालित कर दिया गया था और उस पर किसी से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने उसकी पुष्टि/ अंगीकरण का प्रस्ताव किया। अध्यक्ष ने सदस्यों से विशिष्ट रूप से पूछा कि क्या उनकी कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी है। सुश्री श्रेया पांडेय ने एफ.एस.एस. विनियमों के समय-सीमा में प्रवर्तन संबंधी नीति से संबंधित मद सं0 5(1) के बारे में कुछ अवलोकन किए और कुछ लिखित टिप्पणियाँ भी दीं। सी.ई.ओ. ने स्पष्ट किया कि सदस्य को बैठक के दौरान विषय पर टिप्पणियाँ करने का पूरा अवसर उपलब्ध था और यह अवलोकन किया कि कार्यवृत्त बैठक के बाद हुई चर्चा का यथार्थ रिकार्ड होता है और उनका प्रयोग बैठक के बाद हुए किसी विमर्श पर विचार करने का मंच नहीं बनाया जा सकता। तथापि, अध्यक्ष ने अवलोकन किया कि लिखित टिप्पणियों पर अलग से विचार किया जा सकता है और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें प्राधिकरण की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। सदस्यों को

परिचालित खाद्य प्राधिकरण की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त के मसौदे का उपर्युक्त अवलोकनों के साथ अंगीकरण किया गया और उसकी पुष्टि की गई।

(ii) यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसी सदस्य की प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी होने पर संबंधित सदस्य उन्हें सी.ई.ओ को 7 दिनों के अंदर भेजें, जिससे टिप्पणियों को उनके जवाब के साथ प्राधिकरण की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि के मद के भाग के रूप में रखा जा सके।

एजेंडा मद सं0 3:

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट - प्राधिकरण की 16वीं बैठक

खाद्य प्राधिकरण की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राधिकरण के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई।

एजेंडा मद सं0 4 :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

(i) यह बात ध्यान में लाते हुए कि प्राधिकरण की पिछली बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2015 को हुई थी, सी.ई.ओ., एफ.एस.एस.ए.आई ने इसकी पिछली बैठक के बाद की गई कार्रवाई और अन्य कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने सदस्यों का ध्यान उत्पाद अनुमोदन और आयात अनापत्तियों संबंधी दो सर्वाधिक विवादास्पद मामलों की ओर दिलाया और इन पर विस्तार से प्रकाश डाला। एफ.एस.एस. अधिनियम की अति प्रतिबंधात्मक किस्म की धारा 19 से 22 और उत्पाद अनुमोदन के आवेदन निपटान की प्रगति की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होंने आयात अनापत्तियों और उनकी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक जगह लिए गए समय के विस्तृत विश्लेषण की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला।

(ii) आगे, उन्होंने प्रवर्तन गतिविधियों की संक्षिप्त झलक प्रस्तुत की और सूचित किया कि यथा 06.04.2015 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कुल 5,52,258 खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस जारी किए गए और 23,79,653 एफ.बी.ओ का पंजीकरण किया गया।

(iii) सी.ई.ओ ने अवधि के दौरान आरंभ की गई आई.ई.सी. गतिविधियों की झलक प्रस्तुत की, जब उन्होंने एन.सी.डी.सी और डब्ल्यू.एच.ओ इंडिया कार्यालय के सहयोग से एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा आयोजित इवेंट का विशेष रूप से उल्लेख किया। यह इवेंट डब्ल्यू.एच.ओ. के स्थापना दिवस के अवसर 2015 के 'खाद्य सुरक्षा' विषय के साथ आयोजित की गई। उन्होंने उपभोक्ता मामले विभाग के साथ मिलकर *"जागो ग्राहक जागो"* अभियानों का भी विशेष जिक्र किया। उन्होंने इस अवधि के दौरान वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनलों द्वारा किए गए कार्य तथा आरंभ की गई प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण संबंधी गतिविधियों का भी उल्लेख किया। कोडेक्स गतिविधियों के संबंध में सी.ई.ओ. ने बताया कि

भारत सी.ए.सी के अगले सत्र द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन जुलाई से 3 वर्षों के लिए सी.सी.एशिया के क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने प्राधिकरण को नई दिल्ली में दिनांक 16 से 20 मार्च, 2015 तक खाद्य में संदूषकों संबंधी कोडेक्स समिति के 9वें सत्र के सफलतापूर्वक संयुक्त आयोजन के बारे भी अवगत कराया।

(iv) जहाँ सदस्यों ने सी.ई.ओ. द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट की प्रशंसा की, उनकी रिपोर्ट पर विभिन्न सदस्यों द्वारा निम्नलिखित अवलोकन किए गए/सुझाव दिए गए:

(क) सुश्री श्रेया पांडेय ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत दर्ज किए गए और विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों तथा उन पर विचार करने की आवश्यकता का मुद्दा उठाया। यह स्पष्ट किया गया कि अधिनियम की धारा 97 (i) में इस संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है और खाद्य प्राधिकरण को इस मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

(ख) डॉ. ए. के. श्रीवास्तव ने प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्य की सराहना की और यह सुझाव भी दिया कि हितधारकों के प्रशिक्षण का एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण में सहायक हो सकने वाली पहचानी गई संस्थाओं के नाम भी हों। सी.ई.ओ. ने सुझाव का स्वागत किया और उस पर कार्य करने का आश्वासन दिया।

(ग) श्री वासुदेव ठक्कर ने घटिया और गलत ब्रांड वाली खाद्य वस्तुओं के विरुद्ध शिकायत करने की प्रणाली जानने का अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करने के लिए पैकेजबंद खाद्य वस्तु के लेबल पर एक निशुल्क नम्बर अथवा हेल्पलाइन छपी होनी चाहिए। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि पैकेजबंद खाद्य वस्तु के लेबल पर किसी संघटक के लिए कई शब्दों का प्रयोग होने की बजाय केवल एक ही मानक शब्द का प्रयोग किया जाए और शर्करा के दिए जा रहे अनेक नामों का हवाला दिया। सी.ई.ओ. ने इस बात को माना कि एफ.एस.एस. अधिनियम के अंतर्गत दोषी खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की प्रक्रिया बहुत बोझिल है। उन्होंने कहा कि एफ.एस.एस. के मौजूदा उपबंधों के अनुसार केवल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही कानूनी नमूने लेकर दोषी एफ.बी.ओ. के विरुद्ध मुकदमे की सिफारिश कर सकता है। जहाँ तक लेबलों पर निशुल्क नम्बरों के छापने का प्रश्न है, सी.ई.ओ. ने सूचित किया कि पैकेजबंदी, लेबलिंग और दावों संबंधी विनियमों की व्यापक पुनरीक्षा का कार्य किया जा रहा है, परंतु लेबलों पर निशुल्क नंबर छापना अनिवार्य करना व्यावहारिक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रवर्तन संबंधी कार्य मुख्यत: राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के होते हैं। अध्यक्ष ने अवलोकन किया कि निशुल्क नम्बर अथवा हेल्पलाइन संबंधी सुझाव की जाँच की जाए, जिसके लिए एफ.एस.एस.ए.आई इस संबंध में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया भी जान ली जाए।

(घ) श्री वासुदेव ठक्कर ने यह भी कहा कि यद्यपि खाद्य नमूनों के परीक्षण की जिम्मेदारी एन.ए.बी.एल प्रत्यायोजित प्रयोगशालाओं को दी गई है, कुछ प्रयोगशालाओं में विभिन्न खाद्य सामग्रियों के लिए निर्धारित सभी मानदंडों का विश्लेषण करने के लिए अपेक्षित रसायन/अभिकर्मक नहीं हैं। एक अन्य सदस्य का अवलोकन था कि विभिन्न प्रयोगशालाएँ भिन्न-भिन्न खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ अपना रही हैं। सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने सूचित किया कि प्राधिकरण इस समय परीक्षण मानदंड और पद्धतियाँ विकसित करने का कार्य कर रही है और इस संबंध में डॉ. ललिता गौड़ा की अध्यक्षता में एक उप समिति द्वारा एक मसौदे को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस पर निर्णय लिए जाने के बाद खाद्य वस्तुओं के परीक्षण मानदंड और पद्धतियों का मानकीकरण हो जाएगा। उन्होंने आगे सूचित किया कि परीक्षण मानदंडों के अंतिमन के बाद सभी प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को उनका अनुपालन करना होगा अन्यथा उनका प्रत्यायन रद्द हो जाएगा। उन्होंने यह भी सूचित किया कि एफ.एस.एस.ए.आई एक राष्ट्रीय स्तर की खाद्य प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है, जिसे एन.ए.बी.एल. प्रत्यायोजित प्रयोगशालाओं से जोड़ने का विचार है। इस प्रस्ताव के अंतिमन के बाद परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर सृजित विशाल डेटाबेस खाद्य उत्पादों के मानक बनाने में अत्यंत लाभदायक होगा।

(ङ) सुश्री अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करने/उनका उन्नयन करने के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजना की मुख्य बातें बताईं और कहा कि सहायता के लिए प्राथमिकता अवस्थिति विशिष्ट से संबंधित अपेक्षाओं के आधार पर दी जा सकती है। श्री उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग ने भी प्रस्ताव किया कि इस संबंध में डेटाबेस सृजन और संकलन के लिए आल इंडिया पेस्टीसाइड नेटवर्क में शामिल प्रयोगशालाओं का भी उपयोग किया जा सकता है।

(च) अध्यक्ष महोदय ने उद्योगों के प्रतिनिधियों से खाद्य उत्पाद अनुमोदन प्रणाली (एफ.पी.ए.एस) की कार्यकारिता के बारे में फीडबैक लेने इच्छा व्यक्त की। सदस्यों ने बताया कि प्रणाली के नवीनतम रूप में जारी होने के बाद उनके ध्यान में कोई विशिष्ट समस्या नहीं लाई गई है।

(छ) सी.ई.ओ ने सूचित किया कि आयात विनियमों का निर्धारण अंतिम चरण में है और इस कार्य को 30 मई, 2015 तक पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पहले प्रकाशित मसौदा अधिसूचना पर प्राप्त सम्मतियों की जाँच की गई और पूर्व प्रकाशित मसौदे में कोई पर्याप्त परिवर्तन न होने पर उसे प्राधिकरण के अनुमोदन के अध्यधीन अंतिम रूप से प्रकाशित कराना संभव हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि

आयात विनियमों के अंतिमित होने पर उन्हें प्राधिकरण के सदस्यों को इलेक्ट्रॉनी माध्यम से परिचालित कर दिया जाएगा।

एजेंडा मद सं0 5:

एजेंडा की नियमित मदें:

सी.ई.ओ की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के बाद एजेंडा की नियमित मदों पर निम्नानुसार चर्चा हुई:

एजेंडा मद सं0 17.1

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कार्य-संपादन) विनियम, 2010 में संशोधन

(i) सी.ई.ओ ने विनियम में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में बताया। उन्होंने आगे बताया कि विनियम विशिष्ट प्रस्तावित संशोधनों के अतिरिक्त इस प्रस्ताव से प्राधिकरण, सी.ए.सी और वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनलों के सदस्यों/वैज्ञानिक विशेषज्ञों को दी जाने वाली सिटिंग फीस की पुनरीक्षा के लिए कार्य-संपादन विनियमों में एक सामान्य संशोधन हो जाएगा। उन्होंने व्यक्त किया कि उक्त विनियमों का प्राधिकरण को सिटिंग फीस की समय-समय पर पुनरीक्षा करने की शक्ति देने की दृष्टि से भी प्रस्ताव है, जिससे हर समय ऐसी पुनरीक्षा करने के लिए विनियमों में संशोधन की आवश्यकता न रहे। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सिटिंग फीस 2010 में तय की गई थी और उसमें उपयुक्त संशोधन किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि यह प्रस्ताव एफ.एस.एस.ए.आई के सदस्यों के लिए प्रतिदिन अथवा उसके किसी अंश के सिटिंग फीस 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का है, प्राधिकरण इस पर इस दृष्टि से पुनर्विचार करे कि औषध विभाग द्वारा प्रतिदिन अथवा उसके किसी अंश के लिए 5000 रुपये दिए जा रहे हैं।

(ii) प्रस्ताव पर विचार किया गया और यह अवलोकन किया गया कि सिटिंग फीस ऐसी हो कि सदस्य प्राधिकरण/सी.ए.सी/वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनलों इत्यादि की बैठकों में भाग लेने से परहेज न करें। श्री वासुदेव ठक्कर ने इस प्रस्ताव से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव की जानकारी लेनी चाही। सी.ई.ओ ने बताया कि इस संबंध में उनके पास आँकड़े तैयार नहीं हैं, फिर भी यह वृद्धि आयोजित बैठकों और उसमें भागीदारी के प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती होगी। विस्तृत चर्चा के बाद, सिटिंग फीस को 4000 रुपये प्रतिदिन अथवा उसके किसी अंश के लिए करने का निर्णय लिया गया और आगे निर्णय लिया कि यह दर सी.ए.सी और वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनलों के सदस्यों और विशेषज्ञ आंमत्रितों के लिए समान रूप से लागू होगी।

(iii) सी.ई.ओ. ने सदस्यों को आगे बताया कि प्राधिकरण, केंद्रीय सलाहकार समिति और वैज्ञानिक समिति/पैनलों के कार्य-संपादन के विनियम न्यूनाधिक रूप से प्राधिकरण के आंतरिक मामलों से संबंधित आंतरिक प्रक्रिया के लिए होने के कारण इन्हें सम्मतियाँ आमंत्रित करने की प्रक्रिया पूरी किए बिना पहले अधिसूचित कर दिया गया था। उन्होंने एजेंडा मद सं0 1, 2 और 3 के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव किया।

(iv) विनियमों में प्रस्तावित संशोधन के सामाजार्थिक प्रभाव के मूल्यांकन के संबंध में यह अवलोकन किया गया कि अधिनियम की धारा 18 में निर्धारित सामान्य सिद्धांत के अनुसार प्राधिकरण को हर प्रस्ताव का समग्र मूल्यांकन करना है और उस कार्य को विनियम के माध्यम से सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(क) किसी भी प्रस्ताव के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की दृष्टि से मूल्यांकन करने के उक्त विनियम के संशोधन का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया;

(ख) उक्त विनियमों के खंड 16 की पुनरीक्षा संबंधी प्रस्ताव का इस संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया कि सिटिंग फीस खाद्य प्राधिकरण के पदेन् सदस्यों को छोड़कर शेष के लिए प्रतिदिन अथवा उसके किसी अंश के लिए 4000/- रुपये कर दी जाए और उसमें हर दो वर्ष बाद संशोधन का प्रावधान हो।

(ग) उपर्युक्त पैरा (iii) के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।

एजेंडा मद सं0 17.2 -

'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केंद्रीय सलाहकार समिति के कार्य-संपादन की प्रक्रिया) विनियम, 2010 में संशोधन

एजेंडा मद पर विचार किया गया और प्राधिकरण ने 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केंद्रीय सलाहकार समिति के कार्य-संपादन की प्रक्रिया) विनियम, 2010 में इस संशोधन के साथ संशोधन का अनुमोदन किया कि सिटिंग फीस सी.ए.सी के पदेन् सदस्यों को छोड़कर शेष के लिए प्रतिदिन अथवा उसके किसी अंश के लिए 4000/- रुपये कर दी जाए और उसमें हर दो वर्ष बाद संशोधन का प्रावधान हो।

एजेंड मद सं0 17.3 -

'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के लिए प्रक्रियाएँ) विनियम, 2010 को प्रस्तावित मसौदा विनियम से प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन

एजेंडे पर उक्त विनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर मदवार चर्चा के साथ विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के बाद, प्राधिकरण ने प्रस्ताव का इस संशोधन के साथ अनुमोदन किया कि सिटिंग फीस

वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों, गठित विशेषज्ञ ग्रुपों और विशेष आमंत्रितों के लिए प्रतिदिन अथवा उसके किसी अंश के लिए 4000/- रुपये कर दी जाए और उसमें हर दो वर्ष बाद संशोधन किया जाए। खाद्य प्राधिकरण ने आगे संकल्प किया कि रैपरच्यूरों के लिए प्रतिदिन अथवा उसके किसी अंश के लिए मानदेय 2000/- रुपये कर दिया जाए।

एजेंडा मद सं0 17.4 -

नए वैज्ञानिक पैनलों का गठन

(i) एजेंडा मद पर अनुबंध 1 के एडेंडा सहित विस्तार से चर्चा की गई। सी.ई.ओ. ने हितों के प्रकटीकरण, वेबसाइट पर हितों के प्रकटीकरण के प्रकाशन, विशेषज्ञ नामित करने के लिए लगभग 60 प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रमुखों को भेजे गए अर्ध सरकारी पत्रों, हितों के प्रकटन के आमंत्रण पर हित न प्रकट करने वाले ज्ञात विशेषज्ञों के आमंत्रण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और प्रत्येक पैनल के लिए प्रस्तावित सदस्यों की शॉर्ट-लिस्टिंग और चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख किया।

(ii) श्री वासुदेव ठक्कर ने विभिन्न पैनलों के सदस्यों के चयन के मानदंडों के बारे में जानना चाहा। उन्होंने आगे कहा कि हर आदमी वेबसाइट नहीं देखता और सुझाव दिया कि सामान्य खंड अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अधिसूचना अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित होनी चाहिए।

(iii) सी.ई.ओ. ने विभिन्न पहलुओं के आधार पर दिए गए अंकों पर आधारित मानदंड बताए। उन्होंने आगे कहा कि उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों अथवा किसी उद्योग के सलाहकार से प्राप्त ई.ओ.आई पर हित के स्वाभाविक विरोधाभास को देखते हुए विचार नहीं किया गया है। जहाँ तक ऐसे नोटिसों के समाचार-पत्रों में साथ-साथ प्रकाशन की आवश्यकता का संबंध है, सी.ई.ओ. ने इस बात पर सहमति प्रकट की खाद्य प्राधिकरण ऐसे सभी महत्वपूर्ण नोटिसों का सार अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के कुछ अग्रणी समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर सकती है, जिसमें विवरणों के एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध होने का हवाला दिया जा सकता है।

(iv) अध्यक्ष महोदय ने अवलोकन किया कि विषय के सक्षम विशेषज्ञों की उपलब्धता ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है1 इसके अतिरिक्त, ज्यादा खाद्य उत्पादों के लिए अधिकतम क्षैतिज मानकों के निर्धारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अधिक वैज्ञानिक पैनलों के गठन की आवश्यकता के मद्देनजर उन्होंने प्रस्ताव के अनुमोदन की सराहना की। तदनुसार प्राधिकरण ने प्रस्ताव का एजेंडे के अनुसार अनुमोदन किया।

(v) प्राधिकरण ने पैनलों के सदस्यों/विशेषज्ञों के चयन के लिए भविष्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विचार करने के लिए (i) डॉ. (सुश्री) ललिता गौडा, (ii) डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, (iii) डॉ. जी. एस. टुटेजा, (iv) श्री वासुदेव ठक्कर, और (v) सुश्री मीतू कपूर की सदस्यता वाली एक

उपसमिति गठित करने का संकल्प लिया, जो एफ.एस.एस.ए.आई को इस संबंध में अपनी सिफारिशें अल्पतम संभव समय में देगी। सी.ई.ओ. उपसमिति की बैठकों का समन्वय कार्य करने वाले अधिकारी को नामित करेंगे। उपसमिति की सिफारिशें प्राधिकरण के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ इसकी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएँ।

एजेंडा मद सं0 17.5 -

एल्कोहलीय पेयों के लिए मसौदा विनियम

(i) एजेंडा मद को स्पष्ट किया गया। सी.ई.ओ ने मसौदा मानक विनियम में दो परिवर्धन सुझाए, अर्थात्-

"1. उप-विनियम 6.3 के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाए:

आयातित एल्कोहलीय पेयों के मामले में (i) एफ.एस.एस.ए.आई लोगो, (ii) आयातक का नाम और पते के बारे में सूचना कस्टम-आबद्ध वेयरहाउसों में अतिरिक्त सूचना के रूप में इस प्रकार लगाने की अनुमति होगी कि वह किसी भी तरह से लेबल की मूल सूचना को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से न ढके।

2. 6.12 - निम्नलिखित जोड़ें:

वैधानिक चेतावनी अंग्रेजी भाषा में छापी जाए। यदि संबंधित राज्य उसे अपनी स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा में भी छपवाना चाहे तो अंग्रेजी पाठ को दोहराए बिना उसका अलग स्टिकर लगाया जा सकता है।

(ii) उद्योग के प्रतिनिधियों ने "इंडियन व्हिस्की" और "फ्लैवर्ड व्हिस्की" के बारे में अपनी चिंता जताई, क्योंकि इन शब्दों से निर्यात के समय व्यापारिक प्रभाव पड़ेगा।

(iii) व्यापार संबंधी मामलों पर दी गई सम्मतियों/सुझावों पर चर्चा की गई। संयुक्त सचिव, वाणिज्य के बैठक में उपस्थित न होने के कारण यह अवलोकन किया गया कि इन प्रभावों पर वाणिज्य सचिव स्तर पर चर्चा की जाए। चर्चा के बाद खाद्य प्राधिकरण ने एल्कोहलीय पेयों के लिए मसौदा विनियमों पर, सी.ई.ओ. द्वारा सुझाए गए परिवर्धनों सहित, विचार किया और उनका इस शर्त के साथ अनुमोदन किया कि उनसे व्यापार संबंधी कोई गंभीर प्रभाव पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष महोदय को आगे की जाने वाली कार्रवाई का प्राधिकार होगा अर्थात् (i) किसी संबद्ध मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को एल्कोहलीय पेय के विशेषज्ञ ग्रुप को वापस भेजना, अथवा (ii) हितधारकों की सम्मतियाँ आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना का मसौदा जारी करना।

एजेंडा मद सं0 17.6

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की तरफ से सूचना, शिक्षा और संप्रेषण गतिविधि चलाने के लिए खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली केंद्र/राज्य सरकारों की

एजेंसियों, उपभोक्ता संगठनों, एन.जी.ओ और सरकारी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों सहित अन्य संस्थाओं के सहयोजन की योजना के संबंध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची में दिए गए प्रस्ताव का अनुमोदन करने का संकलप लिया।

एजेंडा मद सं0 17.7

एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा एन.बी.सी.सी. कंप्लेक्स, किदवई नगर (ईस्ट), नई दिल्ली में अपने सरकारी कार्य के उपयोग के लिए 30 वर्षों के लिए 60,000 वर्गफुट निर्मित जगह (कार्यालय, आवासीय अपार्टमेंट और कार पार्किंग के लिए जगह) की पट्टे पर खरीद

एजेंडा मद पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय ने अवलोकन किया कि मामले पर इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए कि इस कार्य के लिए सरकार से कोई बजट सहायता नहीं मिलेगी। विकल्पों पर विचार करते हुए अध्यक्ष महोदय ने स्मरण दिलाया कि एफ.डी.ए भवन की आयोजना के समय इस मंजिल की 8 अथवा 10 मंजिलें बनाने का प्रस्ताव था और इस बात की जाँच करने की आवश्यकता है कि क्या इस भवन के ऊपर कुछ और मंजिलें जोड़ी जा सकती हैं। सी.ई.ओ. ने बताया कि यदि दो और मंजिलें बनाई जा सकीं तो एफ.एस.एस.ए.आई की कार्यालय संबंधी निकट भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। यह मुद्दा भी उठाया गया कि क्या एफ.एस.एस.ए.आई प्रस्तावित अभिग्रहण की लागत के लिए बैंक ऋण ले सकता है? विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(i) संयुक्त संचिव (स्वास्थ्य) इस बात की जाँच करें कि क्या संरचनात्मक डिजाइनों और एफ.ए.आर. की उपलब्धता को ध्यान में रखते वर्तमान परिसर पर कुछ मंजिलें बनाई जा सकती हैं?

(ii) एफ.एस.एस.ए.आई इस बात की जाँच करे कि क्या यह नए अभिग्रहण के लिए ऋण लेने की स्थिति में है और क्या यह ऋण का भुगतान अपनी आय से कर सकेगी?

(iii) उपरोक्त के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन को वापस लेने की कार्रवाई उपयुक्त चरण पर यह सुनिश्चित करते हुए की जाए कि किसी भी मामले में जमा की गई पेशगी राशि जब्त न हो।

एजेंडा मद सं0 17.8

एन.आई.एन, हैदराबाद से 'भारतीय जनता के आहार का समग्र अध्ययन' कराने के बारे में प्रस्ताव

(i) यह प्रस्ताव विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण के सदस्यों के समक्ष 5 वर्ष की अवधि के दौरान रुपये 35.83 करोड़ की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद से अध्ययन कराने के प्रस्ताव के विभिन्न संघटक/मुद्दे पेश किए गए। यह बताया गया कि 'भारतीय जनता के आहार का समग्र अध्ययन' पोषण के स्तरों, कमियों, संदूषकों के प्रभाव इत्यादि पर अनुसंधान आधारित परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत

महत्वूपर्ण है। यह भी बताया गया कि अनेक देश 'आहार का समग्र अध्ययन' पहले ही करा चुके हैं, जबकि भारत के लिए अब तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ii) इस बात पर सहमति हुई कि आहार का समग्र अध्ययन (टी.डी.एस.) कराना बहुत आवश्यक है। कुछ सदस्यों ने पेस्टीसाइड अवशिष्टों की सूची सहित टी.डी.एस. में अध्ययन किए जाने वाले मानदंडों की पुनरीक्षा करने का सुझाव दिया। यह बताया गया कि चूँकि मानदंड प्रस्ताव की लागत से संबद्ध हैं, इस अध्ययन को प्रस्ताव में शामिल न्यूनतम मानदंडों से शुरू किया जा सकता है और बाद में इसका विस्तार किया जा सकता है। सदस्य प्रस्ताव के गुणावगुणों और प्रस्तावित अध्ययन कराने पर प्राय: एकमत थे।

(iii) अध्यक्ष महोदय ने जानना चाहा कि क्या प्राधिकरण के पास इस परियोजना को चलाने के लिए 35.83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत उपलब्ध है। सी.ई.ओ ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना 5 वर्षों की अवधि में पूरी की जानी है और इसके लिए निधि सरकार द्वारा बजट अनुदान से दी जानी होगी।

(iv) विस्तृत चर्चा के बाद एन.आई.एन के प्रस्ताव को सभी सदस्यों को 15 दिनों के अंदर सम्मतियाँ देने के लिए परिचालित करने का निर्णय लिया गया। सदस्यों से प्राप्त सम्मतियों के आधार पर और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रस्ताव से जन स्वास्थ्य के बड़े मुद्दे का संबंध है, इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को जाँच करने और यह निर्णय लेने के लिए भेजा जाए कि या तो अध्ययन मंत्रालय की किसी अन्य योजना के तहत करा लिया जाए, अथवा इसे आई.सी.एम.आर से कराने की संभावना खोजी जाए, अथवा इस संबंध में एफ.एस.एस.ए.आई को अपेक्षित निधि उपलब्ध करा दी जाए। इस मामले में कार्रवाई मंत्रालय के निर्णय के अनुसार की जाएगी।

एजेंडा मद सं0 17.9

(प्राधिकरण की सूचना के लिए)

एजेंडा मद सं0 17.9.1

(i) पी.ए. प्रभाग, (ii) प्रवर्तन प्रभाग, और (iii) आयात प्रभाग के मामले में शपथ-पत्रों की जगह स्व-घोषणा शुरु करना

प्राधिकरण ने सूचना नोट की। तथापि, सुश्री श्रेया पांडेय ने सुझाव दिया कि स्व-घोषणाओं की सामग्री नितांतत: शपथ-पत्रों के अनुसार ही हो। सी.ई.ओ ने कहा कि स्व-घोषणाओं की सामग्री में आवश्यकतानुसार समंजन किया गया है, क्योंकि अधिनियम की धारा 18 और 26 में निर्धारित सिद्धांतों की भावना को ध्यान में रखकर ली गई शिक्षाओं के आधार पर इसकी समय-समय पर पुनरीक्षा हो सकती है।

एजेंडा मद सं0 17.9.2

82 प्रत्यायित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और परीक्षण के मानदंडों की स्थिति की अधिसूचना

प्राधिकरण ने अधिसूचना को नोट किया।

एजेंडा मद सं0 17.9.3

आयात प्रभाग की गतिविधियाँ: (i) अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 तक आयात गतिविधियों की समय-सीमा; (ii) सीमा शुल्क के लिए एकल खिड़की अनापत्ति प्रणाली; और (iii) एफ.एस.एस.ए.आई की विस्तार योजना के बारे में अपडेट

(i) प्राधिकरण ने सूचना को नोट किया। अध्यक्ष महोदय ने अवलोकन किया कि आयातित वस्तुओं को समय पर अनापत्ति देने के मामले पर सरकार अपनी 'व्यवसाय सुकरता' की नीति के अंग के रूप में गंभीर रूप से ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न एजेंसियों/विभागों के ई-गवर्नेंस एप्लीकेशनों के निर्बाध एकीकरण के लिए कैसे कार्य किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एफ.बी.ओ को अनेक जगह आवेदन न करना पड़े। उन्होंने आयात विनियमों का अंतिमन जल्दी करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस संबंध में उन्होंने सी.ई.ओ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अवलोकन किया कि सदस्यों को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि जिन प्रस्तावित आयात विनियमों पर एफ.एस.एस.ए.आई वर्तमान में काम कर रही है, उनकी मसौदा अधिसूचना जारी की जाए अथवा अंतिम अधिसूचना।

(ii) चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि आयात विनियमों के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाते ही उसे सदस्यों को ऑनलाइन सम्मति देने के लिए परिचालित कर दिया जाए। आगे, सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को सदस्यों की ऑनलाइन प्रतिक्रिया के आधार पर इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया।

एजेंडा मद सं0 17.9.4

एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा संचालित प्रशिक्षण - स्थिति

प्राधिकरण ने सूचना को नोट किया। यह अवलोकन किया गया कि "प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण" पहल को सतत आधार पर जारी रखने और उसका विस्तार करने की आवश्यकता है।

एजेंडा मद सं0 17.9.5

पिछली बैठक के बाद जारी की गई परामर्शिकाएँ/आदेश

(i) **एफ.बी.ओ के लाइसेंसों/पंजीकरणों के नवीकरण/अंतरण के लिए समय-सीमा को 06 महीनों के लिए बढ़ाना**

(ii) **एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 की धारा 36 के अंतर्गत केंद्रीय लाइसेंसिंग के लिए एफ.एस.एस.ए.आई के अभिनामित अधिकारियों को अधिसूचित करना**

(iii) **लाइसेंस देने से पहले परिसरों का निरीक्षण करना**

(iv) **"निर्यातक एफ.बी.ओ" वर्ग शुरू करना**

(v) **सहकारी समितियों के खाद्य कारोबारियों की लाइसेंसिंग/पंजीकरण करना**

सूचना को नोट किया गया। तथापि, लाइसेंस देने से पहले एफ.बी.ओ के परिसरों के निरीक्षण के संबंध में क्रम सं0 3 पर एजेंडा नोट का हवाला देते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ने अवलोकन किया कि परिसरों के पूर्व-निरीक्षण की अपेक्षा को पूरी तरह छोड़ देना ठीक नहीं होगा और सुझाव दिया कि इसे ऐच्छिक रखा जाए। उनका ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 2015 के उक्त आदेश की साथ लगी प्रति की ओर आकर्षित किया गया जो पूरी तरह सही थी। यह स्पष्ट किया गया कि एजेंडा नोट में दिए गए सार का आशय केवल दिनांक 12.02.2015 के परिपत्र को दुबारा परिचालित करना था, क्योंकि लागू रहने वाला प्रलेख वही है। उपर्युक्त स्पष्टीकरण के बाद वे संतुष्ट हुए।

17.10 पूरक एजेंडा मदें

पूरक एजेंडा मद सं0 17.10.1

व्हिसल ब्लोअरों के लिए पुरस्कार योजना और रुपये 500/- की पुरस्कार योजना

एजेंडो नोट और अधिनियम की धारा 95 के उपबंधों में दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा आरंभ की गई योजना को समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

पूरक एजेंडा मद सं0 17.10.2

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-1 में संशोधन

खाद्य प्राधिकरण ने चंडीगढ़ और लखनऊ कार्यालयों को बंद करके उनके स्टाफ को मुख्यालय में स्टाफ की कमी वाले प्रभागों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-1 में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया और उनका अनुमोदन किया।

एजेंडा मद सं0 17.10.3

लेबलिंग और दावों संबंधी वैज्ञानिक पैनल से डॉ. जोसेफ आई. लीविस की सेवाएँ समाप्त करना

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

पूरक एजेंडा मद सं0 17.10.4

खाद्य विश्लेषक परीक्षा का संचालन

प्रस्ताव की रूप-रेखा बताई गई जिसका सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया। जहाँ तक यह परीक्षा लेने के लिए संस्था का संबंध है, अध्यक्ष महोदय को एन.आई.एफ.टी.ई.एम और सी.एफ.टी.आर.आई में से किसी एक संस्था और उसके लिए लागू होने वाले निबंधनों और शर्तों को अंतिम रूप से अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय भी लिया गया।

पूरक एजेंडा मदस सं0 17.10.5

दूध के मानकों की पुनरीक्षा

खाद्य प्राधिकरण ने एजेडा मद के साथ संलग्न (क) गाय के दूध में वसा और वसा से इतर ठोस पदार्थों, (ख) एफ.एस.एस.आर में ऊँट के दूध को शामिल करने के संबंध में दूध के मानकों की पुनरीक्षा पर विचार किया और उनका अनुमोदन किया।

पूरक एजेंड मद सं0 17.10.6

डेयरी व्हाइटनर के लिए मानक

(i) एजेंडा मद पर प्रकाश डाला गया। सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने सदस्यों का ध्यान डेयरी व्हाइटनर के लिए 'कुल योजित शर्करा' के संबंध में अनुशंसित मानक की ओर आकर्षित किया, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस संबंध में निर्धारित स्तर 18% के मुकाबले द्रव्यमान के अनुसार 24% है। इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। सुश्री श्रेया पांडेय ने अवलोकन किया कि वर्तमान में उद्योग इतनी ही शर्करा का प्रयोग कर रहा है और उसके लिए 18% शर्करा का स्तर बनाना संभव नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि डेयरी व्हाइटनर किसी भी भाँति पोषण आहार नहीं है। यह अवलोकन किया गया कि इस मात्रा में डाली जा रही कुल शर्करा एस.एन.एफ को प्रतिस्थापित कर रही है और मधुमेह से पीड़ित उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक हो सकती है। इस बात पर प्राय: सहमति हुई कि शर्करा के मानक स्तर को 24% पर केवल इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि उद्योग उत्पाद का इतनी शर्करा के साथ निर्माण कर रहा है, जोकि स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह अवलोकन किया गया कि निर्धारित मानक का अनुपालन करने के लिए उद्योग को अपनी निर्माण प्रक्रियाओं में उपयुक्त परिवर्तन करना होगा, जिसके लिए कुछ समय दिया जा सकता है। तथापि, सुश्री श्रेया पांडेय ने सुझाव दिया कि इसकी दो वर्ष बाद पुनरीक्षा की जाए।

(ii) मामले पर विचार-विमर्श करने और यह सोचते हुए कि इसकी पुनरीक्षा में इसका अपना समय लग सकता है, प्राधिकरण ने एजेंडा प्रस्ताव का इस संशोधन के साथ अनुमोदन करने का निर्णय लिया कि "डेयरी व्हाइटनर के इन स्तरों के लागू होने की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति पर योजित शर्करा का 24% स्तर 18% हो जाएगा।"

17.10.7 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई मद

(i) श्री वासुदेव ठक्कर ने उत्पाद अनुमोदनों के मामले की जाँच करने के लिए "कार्य दल" के गठन और उत्पाद अनुमोदन विनियम का मसौदा बनाने की वैधता का मामला उठाया। उनका मुख्य तर्क यह था कि उक्त कार्य दल का गठन प्राधिकरण की अनुमति के बिना किया गया था और वह कानूनी तौर पर सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्राधिकरण द्वारा विचार-विमर्श तथा अनुमोदित किए जाने से पूर्व कार्य दल की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि इस संबंध में आदान-प्रदान किए गए सभी दस्तावेज सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएँ।

(ii) सी.ई.ओ ने वह संपूर्ण पृष्ठभूमि बताई, जिसके कारण कार्य दल गठित करना पड़ा। उन्होंने आगे अवलोकन किया कि प्राधिकरण की बैठकें वर्ष में 3 या 4 बार होती हैं और यदि हर चीज प्राधिकरण से अनुमोदिन कराने का इंतजार किया जाए तो दिन-प्रतिदिन के कार्य करना संभव नहीं होगा। फिर भी उन्होंने कहा कि जब कभी ऐसे कार्य दल अथवा विशेषज्ञ दल अथवा उपसिमति की सिफारिशें नीतियों पर असर डालती हैं, मामले को सदा ही प्राधिकरण के विचारार्थ और निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया। उस कार्य दल, जिसके श्री ठक्कर भी सदस्य थे, की सिफारिशों का विशेष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कार्य दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जाँच की जा रही है और उसे प्राधिकरण के समक्ष उपयुक्त निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचार कर लिए जाने से पहले कार्य दल की सिफारिशों के क्रियान्वयन का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

(iii) अध्यक्ष महोदय ने अवलोकन किया कि सदस्यों को रिपोर्ट की प्रति मांगने का पूरा अधिकार है, परंतु सभी आंतरिक पत्र-व्यवहार और सरकार से प्राप्त पत्रों की प्रतियाँ मांगना स्थापित न्यायाचार से बाहर होगा। उन्होंने सी.ई.ओ को संबंधित सदस्य को रिपोर्ट की प्रति देने को कहा। सी.ई.ओ ने कहा कि चूँकि श्री ठक्कर कार्य दल के सदस्य थे, उनके पास रिपोर्ट की प्रति पहले ही है, जो उनके पास उस समय भी उपलब्ध थी।

(iv) कार्यवृत्त को रिकार्ड करने के मामले पर बोलते हुए सी.ई.ओ ने कहा कि किसी भी बैठक के कार्यवृत्त में मोटे तौर पर चर्चाओं तथा उन पर लिए गए निर्णयों के सार होते हैं और उन्हें शब्दश: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

बैठक अध्यक्ष महोदय तथा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

हस्ता/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता/-
अध्यक्ष

क. प्राधिकरण के सदस्य

1. श्री बी. पी. शर्मा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई;
2. श्री वाई. एस. मलिक, सी.ई.ओ/एफ.एस.एस.ए.आई;
3. श्री के. एल. शर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली;
4. डॉ. रीता वशिष्ठ, अपर सचिव एवं एल. सी, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
5. श्री उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, डी.ए.सी, कृषि भवन, नई दिल्ली;
6. सुश्री अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय;
7. डॉ. जी. एस. टुटेजा, निदेशक, मरु औषध अनुसंधान केंद्र (डीएमआरसी), आई.सी.एम;
8. डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल;
9. डॉ. (सुश्री) ललिता रामकृष्ण गौडा, सेवा निवृत्त मुख्य वैज्ञानिक, सी.एफ.टी.आर.आई, मैसूर;
10. श्री मनीष ठाकुर, आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, असम सरकार;
11. श्री रामेश्वर शर्मा, निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियम, शिमला, हिमाचल प्रदेश;
12. श्री सुखविंदर सिंह, अभिनामित अधिकारी, चंडीगढ़;
13. श्री वासुदेव के. ठक्कर, अध्यक्ष, 'वी' केयर राइट एंड ड्यूटी एन.जी.ओ;
14. सुश्री श्रेया पांडेय, आल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन;
15. सुश्री मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई;
16. श्री ठांगलुरा, मिजोरम कन्ज्यूमर्स यूनियन, ललाट चैंबर;
17. श्री वी. बालासुब्रमण्यम्, महा सचिव, प्रान फारमर फेडरेशन ऑफ इंडिया;
18. श्री अबुकलाम, मदीना मुनवारा कॉफी इस्टेट।

ख. एफ.एस.एस.ए. आई के अधिकारी

1. डॉ. मीनाक्षी सिंह, वैज्ञानिक (मानक)
2. श्री बिमल दुबे, निदेशक (आयात)
3. श्री रोकश चन्द्र शर्मा, निदेशक (प्रवर्तन)
4. श्री राकेश कुलश्रेष्ठ, संयुक्त निदेशक (एम)
5. श्री पी. कार्तिकेयन, सहायक निदेशक (विनियम)
6. श्री राजेश कुमार, वैज्ञानिक iv (I)
7. डॉ. जोसेफ आई लीविस, परामर्शदाता

आमंत्रिति

1. सुश्री विनोद कोतवाल, सलाहकार (टी.आर.ए.आई)